



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12072023-247246
CG-DL-E-12072023-247246

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173]
No. 173]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 12, 2023/आषाढ़ 21, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 12, 2023/ASHADHA 21, 1945

नागर विमानन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2023

फा. सं. एवी-19032/5/2015-एएआई-एमओसीए.—राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 की धारा-26 की उपधारा (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से केंद्रीय सरकार एतद्वारा राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त नीति में, पैराग्राफ-14 में, खंड (घ) में, निम्नलिखित परंतुक शामिल किया जाएगा अर्थात्:-

"गगन अधिदेश से छूट के लिए निम्नलिखित श्रेणी के विमानों पर विचार किया जा सकता है:

- विमान, जिसमें विमान/एवियोनिक्स ओईएम द्वारा सूचित किया गया है कि प्रौद्योगिकी चुनौतियों के कारण विमान को गगन अनुकूलित नहीं बनाया जा सकता है और डिजाइन में परिवर्तन संभावना व्यावहारिक नहीं है और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा इसका निर्धारण किया गया है।
- विमान, जिनका विनिर्माण दिनांक 01.07.2021 से पहले किया गया है।"

रूबीना अली, संयुक्त सचिव

नोट : राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 को दिनांक 29 जून, 2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खंड-1, में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th July, 2023

F. No. AV-19032/5/2015-AAI-MOCA.—In exercise of the powers conferred by sub-section (a) of section 26 of the National Civil Aviation Policy, 2016, the Central Government with the approval of the Competent Authority, hereby makes the following further amendments in the National Civil Aviation Policy, 2016, namely: -

In the said Policy, in paragraph 14, in clause (d), the following proviso shall be inserted namely:-

“The following category of aircraft may be considered for exemption from the GAGAN mandate:

- (i) Aircraft, wherein the aircraft/avionics OEMs have communicated that the aircraft cannot be made GAGAN compliant due to technology challenges and the possibility of the design change is not feasible and the same has been ascertained by DGCA.
- (ii) Aircraft which have been manufactured prior to 01.07.2021.”

RUBINA ALI, Jt. Secy.

Note : The National Civil Aviation Policy, 2016 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part 1, Section 1, dated 29th June, 2016.